केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

**को समाप्त तिमाही**

भाग - **I (**प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए**)**

अनुभाग/विभाग/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय का नाम और पूरा पता :

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. : एस.टी.डीकोड: फोन नं. ई-मेल:

**1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**\* **|**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (क) | जारी कागजात की कुल संख्या |  |
| (ख) | द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्‍या |  |
| (ग) | इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात |  |
| (घ) | केवल हिंदी में जारी किये गये कागजात |  |

**2.** हिंदी में प्राप्त पत्र **(**राजभाषा नियम **- 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (क) | हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (ख) | इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (ग) | इनमें से कितनों के उत्‍तर अंग्रेजी में दिए गए | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (घ) | इनमें से कितनों के उत्‍तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3.** **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल‘क’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या | इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्‍तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे |
| ‘क’ क्षेत्र से |  |  |  |  |
| ‘ख’क्षेत्र से |  |  |  |  |

**4.** भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **हिंदी/द्विभाषी में** | **केवल अंग्रेजी में** | **भेजे गए पत्रों की कुल संख्या** | **हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत** |
| ‘क’ क्षेत्र को |  |  |  |  |
| ‘ख’क्षेत्र को |  |  |  |  |
| ‘ग’क्षेत्र को |  |  |  |  |

**5. फाइलों/दस्‍तावेज़ों पर लिखी गई टिप्‍पणियों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| हिंदी में लिखी गई टिप्‍पणियों के पृष्‍ठों की संख्‍या | अंग्रेजी में लिखी गई टिप्‍पणियों के पृष्‍ठों की संख्‍या | कुल टिप्‍पणियों के पृष्‍ठों की संख्‍या |
|  |  |  |

(\* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, आदि शामिल हैं।)

**-2-**

**6.** तिमाही में आयोजित हिंदी कार्यशालाएं(केवल क्षेत्रीय कार्यालय के लिए)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्‍या | प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्‍या | प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्‍या |
|  |  |  |

7. विभागीय/संगठनीयराजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि (केवल क्षेत्रीय कार्यालय

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| के लिए) : **राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठक की तिथि** | | **:** |  |
| **8. (क)** | | **इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्‍या** | **:** |  |
| **(ख)** | **बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्‍त क्‍या हिंदी में जारी किए गए** | **:** |  |

**9. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि :**

10. तिमाही के दौरान विशिष्‍ट उपलब्धियां (अधिकतम सीमा – 250 अक्षर)

|  |
| --- |
|  |

**उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है |**

अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक/उप निदेशक/विभागाध्‍यक्ष या क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| नाम | : |  |
| पदनाम | : |  |
| फोन नम्बर | : |  |
| फैक्स नम्बर | : |  |
| ई-मेल का पता | : |  |

नोट : 1. यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी।

2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

**प्रमाण-पत्र**

“मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्‍नको समाप्‍त तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचना उपलब्‍ध अभिलिखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्‍य है। मैं यह अच्‍छी तरह समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्‍मेदारी अधोहस्‍ताक्षरी की भी है। यदि किसी स्‍टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्‍य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इससे मेरे कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्‍कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/विभाग के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक/उप निदेशक/विभागाध्‍यक्ष या क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर (मुहर सहित) | | |
| नाम | | .................................. |
| पदनाम | .................................. |
| कार्यालय कानाम | .................................. |
| दूरभाष/फैक्‍स | .................................. |
| ई-मेल का पता | .................................. |